

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समाज कल्याण निदेशालय)

आवश्यक सूचना

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 एवं बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 के नियम 3 के अन्तर्गत विधि के उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में निर्णय हेतु प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड के गठन करने का प्रावधान है। बोर्ड में प्रधान मजिस्ट्रेट तथा संबंधित जिले में दो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, न्यायपीठ के गठन करेंगे। वर्तमान में राज्य के 34 जिले में निम्न प्रकार किशोर न्याय परिषद् का गठन किया जाना है:-

क्रमांक	जिला का नाम	रिक्त पद
1	नवादा, बक्सर, नालन्दा, किशनगंज, लखीसराय, समस्तीपुर, खगड़िया, कटिहार, वैशाली, मधेपुरा, बेगूसराय, पश्चिमी चम्पारण, कैमूर, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, औरंगाबाद, सीवान, रोहतास, बाँका, सीतामढ़ी, अरवल, शेखपुरा, भागलपुर, जगुई, गया, जहानाबाद, मुंगेर, अररिया, मुजफ्फरपुर, पटना, भोजपुर एवं पूर्णियाँ	दो सदस्य
2	गोपालगंज	01 म०

किशोर न्याय परिषद् के सदस्य के रूप में चयन हेतु इच्छुक व्यक्ति वांछित कागजात संलग्न करते हुए अपना आवेदन समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अंदर वेबसाइट- http://jobs.scpsbihar.in/inner/currentopening_dsw.asp पर कर सकते हैं। आवेदक की आयु की गणना 01.10.2017 से की जायेगी। विदित हो कि आवेदन ऑन-लाईन ही जमा किया जाना है। इस संबंध में यदि कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो दूरभाष संख्या-0612-2207556 पर सम्पर्क किया जा सकता है। बोर्ड के सदस्यों से संबंधित अर्हताएँ किशोर न्याय नियमावली, 2017 के नियम 4 एवं नियम 88(5) में प्रावधानित है। बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 विभागीय वेबसाइट-www.socialwelfare.bih.nic.in पर उपलब्ध है।


(सुनील कुमार)
अपर सचिव-सह-निदेशक,
समाज कल्याण निदेशालय।

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समाज कल्याण निदेशालय)

ज्ञापांक:-10/प्र0गृ0स्था0-04/2015- 2104 पटना, दिनांक:- 30-10-17
प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, समाज कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यार्थ प्रेषित। आपसे अनुरोध है कि सूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने
की कृपा की जाय।

(सुनील कुमार)
अपर सचिव-सह-निदेशक,
समाज कल्याण निदेशालय।